न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :–गितेश श्री मालवीय, आर.ए.एस.

1. प्रकरण संख्या 69/2021 (उदयपुर डिक्री)

रायसिंह पिता नाहरसिंह जी राजपूत, निवासी रामगिरी, बड़गांव, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर(राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. चन्द्रप्रकाश पिता स्व. चमनलाल जी खटीक, निवासी बेदला, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर(राज.)
2. कन्हैयालाल पिता स्व. चमनलाल जी खटीक, निवासी बेदला, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर(राज.)
3. श्रीमती बेबी पुत्री स्व. चमनलाल जी खटीक, निवासी बेदला, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर(राज.)
4. श्रीमती कलावती पुत्री स्व. चमनलाल जी खटीक, निवासी बेदला, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर(राज.)
5. श्रीमती इन्द्रा पुत्री स्व. चमनलाल जी खटीक, निवासी बेदला, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर(राज.)
6. श्रीमती मोहनी बाई बेवा स्व. चमनलाल जी खटीक, निवासी बेदला, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर(राज.)
7. भेरूलाल पिता भगवानलाल जी खटीक, निवासी बेदला, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर(राज.)
8. दयालाल पिता भगवानलाल जी खटीक, निवासी बेदला, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर(राज.)
9. श्रीमती भंवरी देवी पुत्री भगवानलाल जी खटीक, निवासी बेदला, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर(राज.)
10. श्रीमती बसन्ती देवी पुत्री भगवानलाल जी खटीक, निवासी बेदला, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर(राज.)
11. श्रीमती प्रेम देवी पुत्री भगवानलाल जी खटीक, निवासी बेदला, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर(राज.)
12. भैरूलाल पिता स्व. पेमा उर्फ प्रेमचन्द जी खटीक, निवासी बेदला, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर(राज.)
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बड़गांव, जिला उदयपुर(राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 13:10:28 IST
Reason: SelfAttested

14. दीपक मेघवाल पिता श्री अंबालाल मेघवाल, निवासी माली कॉलोनी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

2. <u>प्रकरण संख्या 71/2021 (उदयपुर डिक्री)</u>

रायसिंह पिता नाहरसिंह जी राजपूत, निवासी रामगिरी, बड़गांव, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर(राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. चन्द्रप्रकाश पिता स्व. चमनलाल जी खटीक, निवासी बेदला, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर(राज.)
2. कन्हैयालाल पिता स्व. चमनलाल जी खटीक, निवासी बेदला, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर(राज.)
3. श्रीमती बेबी पुत्री स्व. चमनलाल जी खटीक, निवासी बेदला, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर(राज.)
4. श्रीमती कलावती पुत्री स्व. चमनलाल जी खटीक, निवासी बेदला, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर(राज.)
5. श्रीमती इन्द्रा पुत्री स्व. चमनलाल जी खटीक, निवासी बेदला, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर(राज.)
6. श्रीमती मोहनी बाई बेवा स्व. चमनलाल जी खटीक, निवासी बेदला, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर(राज.)
7. भेरूलाल पिता भगवानलाल जी खटीक, निवासी बेदला, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर(राज.)
8. दयालाल पिता भगवानलाल जी खटीक, निवासी बेदला, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर(राज.)
9. श्रीमती भंवरी देवी पुत्री भगवानलाल जी खटीक, निवासी बेदला, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर(राज.)
10. श्रीमती बसन्ती देवी पुत्री भगवानलाल जी खटीक, निवासी बेदला, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर(राज.)
11. श्रीमती प्रेम देवी पुत्री भगवानलाल जी खटीक, निवासी बेदला, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर(राज.)
12. भैरूलाल पिता स्व. पेमा उर्फ प्रे[illegible] खटीक, निवासी बेदला, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर(राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 13:10:28 IST
Reason: SelfAttested

13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बड़गांव, जिला उदयपुर(राज.)

14. दीपक मेघवाल पिता श्री अंबालाल मेघवाल, निवासी माली कॉलोनी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी बड़गांव प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 25–02–2020 एवंअंतिमडिक्रीदिनांक04–03–2021प्रकरणसंख्या418/2019

———::———

उपस्थित :– 1–श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्ट
2–श्री भीमराज पटेल अभिभाषक रे.सं.12
3–डॉ॰ गिरधारीलाल शर्मा अभि.रे.सं.14
4– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णयदिनांक04–07–2023

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 12 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम बड़गांव में आराजी नंबर 434, 435, 436, 462, 463 कुल किता 5 रकबा 0.5350 हैक्टर भूमि स्थित है। उक्त आराजियात वादी के पिता पेमाजी के नाम राजस्व रेकार्ड में 1/2 हिस्सा दर्ज होकर वसीयत से वादी के नाम दर्ज है तथा वादी 1/2 हिस्से का खातेदारकाश्तकार है। शेष 1/2 हिस्सा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 11 का है। उक्त आराजियात पक्षकारों के संयुक्त खातेदारी की होकर अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज चले आ रहे हैं। प्रतिवादीगण संख्या में अधिक होने से वादी के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करते हैं। अतः विवादित आराजियात का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर वादी का 1/2 हिस्सा पृथक से दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय नेअपने निर्णय दिनांक 25–02–2020 से वादी का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की। तत्पश्चात प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 04–03–2021 को अंतिम डिक्री जारी की।

उक्त प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 25–02–2020 से रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा अपील संख्या 69/2021 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 04–03–2021 के विरूद्ध अपील संख्या 71/2021 इस न्यायालय में दिनांक 3[illegible]–08–2021 कोप्रस्तुत की गयी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 13:10:28 IST
Reason: SelfAttested

अपीलें दर्ज रजिस्टर की जाकररेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 12 की ओर से वकील श्री भीमराज पटेल उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 14 अभिभाषक डॉ गिरधारीलाल शर्मा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 13 औपचारिक पक्षकार की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित।अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर अभिभाषक उभयपक्ष की बहससुनी गयी।

उक्त दोनों ही अपीलों में विवादित आराजियात एवं पक्षकारान समान होने तथा अधिनस्थ न्यायालय के एक ही प्रकरण संख्या 418/2019 के विरूद्ध पारित प्रारम्भिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री के विरूद्ध होने से दोनों ही अपीलों का एक ही निर्णय किया जा रहा हैं। निर्णय की एक–एक प्रति संबंधित पत्रावली में संलग्न की जावे।

वकील अपीलान्ट ने दोनों ही अपीलों के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किये तथा निवेदन किया कि विवादित आराजियात का 1/2 हिस्सा प्रार्थी के पिता द्वारा दिनांक 05–08–1959 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय किया गया है, तब से प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है, जिसकी जानकारी विपक्षीगण को होते हुए भी प्रार्थी को अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया एवं एकपक्षीय डिक्री हासिल कर ली, जो प्रार्थी के मुकाबले शून्य व बेअसर है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारीअपीलान्ट को प्रथम बार दिनांक 03–08–2021 को हुई। जानकारी होते ही नकलें प्राप्त कर अपीलें अविलम्ब प्रस्तुत कर दी गयी हैं। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः अपीलें अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये।

हमने उक्त प्रार्थना पत्रों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि प्रार्थी/अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्रों में किये गये कथनों एवं प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर दोनों अपीलें श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा दोनों अपीलों के साथ धारा 96 जा.दी. के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये एवं विवादित भूमि के रजिस्टर्ड क्रेता होना बताते हुए अपीलें प्रस्तुत करने की स्वीकृति हेतु निवेदन किया। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये।

हमने उक्त प्रार्थना पत्रों का अवलोकन कर बहस पर मनन किया। रेकार्ड अनुसार अपीलान्ट विवादित भूमि के [illegible] क्रेता होना प्रकट होता है। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 13:10:28 IST
Reason: SelfAttested

न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाकर अपीलान्ट को अपीलें प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

प्रकरण के गुणावगुण पर बहस करते हुएविद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने इसी जमीन का वाद अधिनस्थ न्यायालय में पेण्डिंग होते हुए भी आदेश पारित किया है, जो गलत होकर निरस्त योग्य है। अपीलान्ट के पिता द्वारा विवादित भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की गयी है, किन्तु रेस्पोन्डेन्ट द्वारा इस तथ्य को छुपाते हुए एकपक्षीय डिक्री प्राप्त कर ली, जो अपीलान्ट के मुकाबले प्रभाव शून्य है। अपीलान्ट विवादित भूमि का रजिस्टर्ड क्रेता होने से प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है, किन्तु उसे बिना पक्षकार बनाये रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 11 की सहमति बताते हुए अधिनस्थ न्यायालय ने वाद डिक्री कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः दोनों अपीलें स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 25–02–2020 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 04–01–2021 निरस्त किये जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें आर.बी.जे. (8) 2001 पेज 313, सिविल टाईम्स 2003 (1) S.C. पेज 120, आर.बी.जे. (17) 2010 पेज 510, सिविल टाईम्स 2009 (1) राज. पेज 722, आर.आर.टी. 2017 (1) पेज 740, आर.आर.टी. 2021 (2) पेज 1128, आर.आर.टी. 2019 (2) पेज 1039 एवं ए.आई.आर. 2007 (NOC) पेज 1877 प्रस्तुत की।

रेस्पोन्डेन्ट संख्या 12 के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्रीको विधि सम्मत होना बताते हुए अपीलें खारिज करने का निवेदन किया। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें आर.एल.डब्ल्यू. 2005 (2) RJ पेज 161, आर.एल.डब्ल्यू. 2005 (2) RJ पेज 111, आर.एल.डब्ल्यू. 2011 (2) RJ पेज 1251, आर.एल.डब्ल्यू. 2007 (2) RJ पेज 761, आर.एल.डब्ल्यू. 2005 (2) RJ पेज 789, आर.एल.डब्ल्यू. 2005 (1) RJ पेज 281, आर.एल.डब्ल्यू. 2005 (1) RJ पेज 66,आर. एल.डब्ल्यू. 2011 (2) RJ पेज 1173 प्रस्तुत की।

रेस्पोन्डेन्ट संख्या 14 के विद्वान अभिभाषक ने वक्त बहत निवेदन किया कि उनके द्वारा विवादित भूमि का 1/2 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय किया गया है, जबकि उन्हें अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया। अतः अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त कर प्रकरण पुनः गुणावगुण पर उभयपक्षों की बहस सुनकर निर्णय किये जाने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 13:10:28 IST
Reason: SelfAttested

हमनेउभयपक्षकी बहस पर मनन किया एवंपत्रावलीपरउपलब्धरेकार्डकाध्यानपूर्वकअवलोकनकिया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का अध्ययन किया। अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इन्हीं विवादित आराजियात के संबंध में उनके द्वारा अधिनस्थ न्यायालय प्रस्तुत वाद संख्या 213/2010, जिसमें इस अपील के रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 11 के पूर्वाधिकारी विरूद्ध घोषणा एवं निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया है। उक्त वाद अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन रहते हुएइन्हीं आराजियात बाबत् प्रश्नगत वाद रेस्पोन्डेन्ट संख्या 12 भैरूलाल द्वारा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 11 के विरूद्ध विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया, जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र वादी की एकपक्षीय बहस सुनकर उसकी सहमति के आधार पर वाद स्वीकार कर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री जारी कर दी, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। हम यह पाते हैं कि अपीलान्ट रायसिंह द्वारा प्रस्तुत वाद अभी अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है तथा प्रश्नगत वाद में उसे पक्षकार नहीं बनाया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री त्रुटि पूर्ण होने से निरस्त योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीलें स्वीकार की जाकर अधिनस्थन्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 25–02–2020 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 04–03–2021 अपास्त किये जाते हैं तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है किपक्षकारान को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। निर्णय की एक–एक प्रति दोनों पत्रावलियों में संलग्न की जावे। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 05–09–2023 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 04–07–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(गितेश श्री मालवीय)
राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 13:10:28 IST
Reason: SelfAttested